

कॉन्सेप्ट नोट

नगर-संवाद

वायु प्रदूषण नियंत्रण और नगर प्रशासन की भूमिका

विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन) द्वारा वर्ष 2018 में वायु प्रदूषण के विषय पर जारी की गयी ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में अवस्थित हैं⁽¹⁾ और इनमें से सभी गंगा के मैदानी इलाकों में बसे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस सूची में उत्तर प्रदेश के शहरों की संख्या सबसे ज्यादा है। निश्चय ही यह जन स्वास्थ्य के मामले में अप्रत्याशित और अलार्मिंग स्थिति का सूचक है, क्योंकि वायु प्रदूषण मानव समाज के लिए स्वास्थ्य संबंधी बेहद गंभीर समस्या बन गया है। प्रसिद्ध रिसर्च पत्रिका 'लैंसेट जर्नल' में वायु प्रदूषण के जन स्वास्थ्य पर पड़ते दुष्प्रभाव पर प्रकाशित एक अध्ययन, जोकि प्रदूषित धूलकण (पार्टिकुलेट मैटर, पीएम) के जरिये स्वास्थ्य संबंधी खतरों का आकलन करती है, के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण मरने वालों की संख्या एचआइवी, टीबी और मलेरिया से हुई कुल मौतों से तीन गुना ज्यादा है।

“
दुनिया के 20
सर्वाधिक प्रदूषित
शहरों में से 14 भारत
में हैं।”

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के राज्यों की सरकारें जहरीली हवा के जरिये मानव स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर पड़ते दुष्प्रभावों को समझती हैं। हाल ही में लखनऊ, पटना और रांची जैसे शहरों में वायु प्रदूषण से निबटने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाये गये हैं, हालांकि इन शहरों की एयर क्वालिटी में कोई खास सुधार देखने में नहीं आया है। उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने राज्य में प्रदूषित ईट-भट्टा उद्योग को बंद करने का आदेश दिया है और लखनऊ में गत चार वर्षों से सीएनजी आधारित पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया गया है, वहीं रांची में ई-रिक्शों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

हालांकि इन राज्यों की ये पहल 'पीएम लेवल को कम करने में कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाये हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डाटा के अनुसार वर्ष 2013 से 2016 के दौरान पीएम10 का स्तर लखनऊ और रांची में क्रमशः 111 प्रतिशत और 119 प्रतिशत बढ़ा है, वहीं वर्ष 2014 से 2016 के बीच पटना में यह 119 प्रतिशत बढ़ा (2) है। ऐसी परिस्थिति में यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन शहरों में प्रदूषण की समस्या जटिल है और इस प्रकार केवल एक सामंजस्यपूर्ण और समन्वयकारी उपाय के साथ 'इंटिग्रेटेड एप्रोच' (एकीकृत उपागम) ही एक ठोस और जमीन पर उतारे जानेवाला समाधान प्रस्तुत कर सकता है। यही कारण है कि बढ़ते वायु प्रदूषण से निबटने के लिए एक व्यापक समाधान समय की मांग है।

हरेक नागरिक को श्वास लेने योग्य स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने और जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में हरेक वो शहर, जहां वायु की गुणवत्ता बिगड़ रही है या एयर क्वालिटी खराब होने की आशंका है, में एक 'क्लीन एयर एक्शन प्लान' स्वच्छ वायु कार्य योजना की आवश्यकता है। यह एक्शन प्लान न सिर्फ अल्पकालिक, मध्यम व दीर्घकालिक आधार पर उपायों को समाहित करेगा, बल्कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सुपरिभाषित संस्थागत उपाय मुहैया करायेगा और यह कानूनी प्रावधानों पर आधारित होगा ताकि अन्य योजना व रेगुलेशन, जहां इनकी कमी महसूस की गयी है, के विपरीत इसका समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही यह क्लीन एयर एक्शन प्लान प्रदूषण में कमी लाने के टारगेट को एक सख्त समयसीमा के तहत पूरा करने और एक मजबूत कानूनी प्रावधान जैसे तत्वों पर फोकस करेगा। चूंकि एक मजबूत और ठोस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम भी बेहद जरूरी है, ऐसे में इस कार्ययोजना में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए डाटा की समुचित संग्रहण के साथ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का प्रावधान भी होगा। डाटा की मॉनिटरिंग ट्रेड को समझने, आवधिक घटनाओं की पहचान करने और इमरजेंसी स्थिति में निवारक उपायों की प्लानिंग के लिहाज से सहायक साबित होती है।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वायु प्रदूषक आम तौर पर भौगोलिक सीमा से परे फैलते हैं, जो राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सीमाओं के दायरे से बाहर होते हैं। ये प्रदूषक तत्व हजारों किलोमीटर तक फैलते हैं और अपने उदगम केंद्र से कहीं दूर क्षेत्र में स्वास्थ्य व आजीविका पर दुष्प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल दिल्ली में दीवाली के दौरान धूलमिश्रित धुआं यानी 'स्मॉग' दिल्ली व इससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक गंभीर समस्या के रूप में छाया रहा, जिसके पीछे मुख्य कारण, जैसाकि नासा के सैटेलाइट इमेज ने भी इसकी पुष्टि की, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में अवशेषों का जलाया जाना था। ऐसी समस्या दीर्घकालिक निवारक रणनीतियों के योजना निर्माण व क्रियान्वयन के लिए रिजनल एप्रोच के साथ क्लीन एयर एक्शन प्लान पर विशेष बल देती है। अंतर-राज्यीय स्तर पर सरकारों के बीच निवारक रणनीतियों पर समुचित समन्वय न केवल भौगोलिक सीमा से परे प्रदूषक तत्वों को रेगुलेट करेगा, बल्कि उल्लंघनकर्ताओं संबंधी चूक की भी रोकथाम करेगा।

(1) <http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/>

(2) CPCB Manual Data

इसके अलावा वायु प्रदूषण में अचानक बढ़ोतरी और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर जैसे कि जाड़े के महीनों में, खराब हवा के गंभीर पहलू का परिचायक है। पार्टिकुलेट मैटर के संकेंद्रण में 50-100 µg/m³ की अचानक बढ़ोतरी हॉस्पिटल में भर्ती जैसी इमरजेंसी स्थिति को पैदा कर देता है, और पहले से श्वास संबंधी दिक्कतों तथा अन्य बीमारियों से जूझ रहे व्यक्तियों में यह स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को बढ़ा देता है।

इस परिप्रेक्ष्य में वायु प्रदूषण से निबटने व उपायों को अंगीकार करने के लिए 'सिटी रिसिलियंस' (शहरों की अनुकूलता/ पुनरुत्थान संबंधी स्थिति) एक्सपोजर लेवल को घटाने और प्रदूषक तत्वों की अचानक वृद्धि में कमी लाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक हद तक, 'सिटी रिसिलियंस' (3) प्रत्यक्ष और आसानी से अर्बन डिजाइन जैसे आम उपायों तथा अल्पकालिक निवेश से पूरी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वायु प्रदूषण का स्तर वाहनों के आवागमन की संख्या, लंबाई, रफ्तार और वाहनों के प्रकार तथा पैदलपथ व बिना वाहन वाले रास्तों में कम निवेश व अन्य अधिसंरचना, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से प्रदूषण उत्सर्जन को काफी कम करने में सक्षम हैं, जैसे कारकों पर निर्भर करता है। वस्तुतः वर्तमान अर्बन डिजाइन उपाय जैसे यातायात आवागमन और समुचित ट्रांसपोर्टेशन रूट काफी हद तक स्थानीय स्तर पर वायु क्वालिटी में सुधार लायेंगे। सड़क की धूल का फैलाव, जोकि इन शहरों में पीएम₁₀ संकेंद्रण में 20 से 25 प्रतिशत हिस्से के लिए जवाबदेह है, को 'ग्रीन कवर' को बढ़ाव देकर और 'इको-रोड्स' में निवेश के जरिये आसानी से निबटा जा सकता है। वैसे भी

यह सही है कि ये छोटे निवेश आसानी से अमल में लाये जा सकते हैं और ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में कारगर हैं।

इसके अलावा कई नयी शहर केंद्रित योजनाएं जैसे अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (एएमआरयूटी), हाउसिंग फॉर ऑल (अर्बन) और स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) आदि शहरों को एयर पॉल्यूशन के खिलाफ तैयार करेंगे और सततशीलता की ओर बदलाव के लिए उन्मुख करेंगे। 'एएमआरयूटी' सततशील बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के जरिये हवा की गुणवत्ता में सुधार पर फोकस करता है, वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना 'आइसीटी' आधारित डेवलपमेंट एप्रोच को अंगीकार करता है और स्मार्ट सॉल्युशंस के जरिये एक स्वच्छ और सततशील पर्यावरण उपलब्ध कराता है। यह बुनियादी सुविधाओं जैसे सिटी प्लानिंग, भौतिक व सामाजिक अधिसंरचनाओं का विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों तथा नन-मोटर ट्रांसपोर्ट जैसे उपायों पर फोकस करता है। इन क्षेत्रीय व शहर केंद्रित उपायों के अनुकरण व शहरी भौगोलिक संरचनाओं तथा भूमि के समुचित वितरण पैटर्न का एयर क्वालिटी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सुधार की गुंजाइश बढ़ेगी।

इसी संदर्भ में यह कॉन्फ्रेंस इन उपायों व व्यावहारिक समाधानों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो वायु प्रदूषण के प्रति 'सिटी रिसिलियंस' पर चर्चा को विस्तृत रूप देगा और इंटीग्रेटेड क्लीन एयर एक्शन प्लान के निर्माण की जरूरत पर विचार-विमर्श करेगा।

सीड: परिचय

सेंटर फॉर एन्वॉयरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) एक एन्वॉयरमेंट और एनर्जी एक्सपर्ट ग्रुप है, जो एक स्वस्थ, संपन्न, खुशहाल और विविधतापरक पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए सततशील समाधानों के निर्माण में संलग्न संगठन है। सीड मुख्य तौर पर 'क्लीन एनर्जी, क्लीन एयर, क्लीन वाटर और जीरो वेस्ट सॉल्युशंस' जैसे विषयों पर एक समुचित वातावरण और पॉलिसी फ्रेमवर्क के निर्माण के जरिये 'लो कार्बन डेवलपमेंट, क्लाइमेट मिटिगेशन और एडैप्टेशन' आदि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। सीड सरकार, इंडस्ट्री, लीडर्स, थिंक टैंक, स्टैकहोल्डर्स और पब्लिक के साथ मिल कर पर्यावरण हितैषी और सामाजिक रूप से न्यायसंगत समाधानों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

अभिषेक प्रताप, डायरेक्टर-प्रोग्राम्स, सीड
ईमेल: abhishek@ceedindia.org
फोन: +91 9931446964

अंकिता ज्योति, सीनियर प्रोग्राम
ऑफिसर, सीड
ईमेल: ankita@ceedindia.org
फोन: +91 7858864847

